

फदे अहकाम

(नियम 20)

तहसीलदार (राजस्व)

मुकाम रायसिंहनगर

राज अदालत

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी बनाम शैलेश कुमार हल्का २८८
 किस्म मुकद्मा नाजायज काश्त धारा 22 उपनि रा. 01 रान 2020 अधिनियम 1954

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय	नम्बर व तारीख प्रहम की जो इस हुकम की तामिल में जारी किये
2.9.20	रिपोर्ट पटवारी / गिरदावर हल्का प्राप्त हुई है कि अप्रार्थी श्री <u>शैलेश कुमार</u> पुत्र श्री <u>हनुमान</u> जाति <u>बिश्नोट</u> साकिन <u>डाबला</u> ने चक <u>२८८</u> के मु.नं. <u>17 (132/325)</u> कि.नं. <u>में कुल 1.012</u> हैक्टर / बीघा राजकीय भूमि पर सम्बत् <u>2077</u> में नाजायज काश्त की है अतः रिपोर्ट के आधार पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध नाजायज काश्त की पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे एवं अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब हो तथा गिरदावर हल्का का पत्रावली में आगामी निर्णय तक किसी उच्च अदालत का स्थगन आदेश न हो तो फसल अपनी तहवील में लेने बाबत आदेश जारी होकर पत्रावली दिनांक <u>21.09.2020</u> को पेश हो।	यह रिपोर्ट के अनुसार 92 की फॉलो पर माफिसयत की गई-
21.09.20	पत्रावली पेश हुई। नोटिस समझ के अभाव में अहकाम नोटिस नहीं हो सका। लिहाजा नोटिस पर लाहस्ताही है तारीख <u>बगैर</u> जाकर पत्रावली दिनांक <u>05-10-2020</u> को पेश हो	
5.10.20	पत्रावली प्रस्तुत अवाजै लाई गई जो लापल अदुपस्थित। अप्रार्थी के पुश्तगत भूमि की नाजायज काश्त किया है। अतः अप्रार्थी को अतिउर्मी घोषित किया जाकर लाहला का 50 रुवा नवान राशि 76/2 अखरी दिखनल रूपसे कायम किया जात है विस्तृत आदेश अला है लिखाया जाकर शामिल स्थल किया गया। पत्रावली निर्णय शुमा होकर दायिक दफ्तल है।	